Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case   Year

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer
	अतः लागत रुकावटी को प्रा पत्र अनुतोष में प्रस्तावित पंक्ति जोड़ी जाती। पूर्व में अप्रार्थी सं 06, 07, 08 की ओर से जवाब दिया। चूंकि प्रार्थी द्वारा अनुतोष केवल अप्रार्थी सं 07, 08 के अनुतोष विरुद्ध चाहा गया है, अतः शेष अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाता है। वास्ते बहस प्रा पत्र पत्रावली दिनांक 17/05/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
Recorded, [illegible] [illegible] [illegible]	
	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रति[illegible] उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में [illegible] नहीं होने की वजह से [illegible] होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 28/5/24 को पेश हो।
28/05/24	मूलवाद आदेशिकानुसार पत्रावली दिनांक 06/06/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
06/06/24	मूलवाद आदेशिकानुसार पत्रावली दिनांक 21/06/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
21/06/24	पत्रावली पेश। प्रा. पत्र पर बहस हेतु अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। Merit के अनुसार प्रा. पत्र का निस्तारण किया जाना है। मुताबिक प्रार्थी - " गाँव नारवा खिचियान, ख. सं. 46, 125, 189, 488/2 भूमि प्रार्थी, अप्रार्थीगणों की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। वक्त Settlement

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	से प्रार्थी के दादा के नाम यह भूमि खातेदारी दर्ज थी। दादा के देहांत पश्चात भूमि अप्रार्थी सं. 01 शमशेर सिंह के नाम दर्ज हुई। विवादित भूमि का बंटवारा प्रार्थी के दादा द्वारा जीवनकाल में ही कर दिया गया था। प्रार्थी का विवादित भूमि में 1/7 हि. बनता है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा ख. सं. 189 में से 12 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 07 व 12 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 08 को बेचान कर दी गई है। उक्त बेचान पड़ौस खोलकर किया गया है, जिनके पड़ौस में प्रार्थी के बंट में आई भूमि है। अप्रार्थी सं. 07, 08 प्रार्थी को अपनी भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। अतः अप्रार्थी सं. 07,08 को पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि में प्रार्थी के कब्जे में दखल ना करें एवं पक्का निर्माण ना करें।" मुताबिक जवाब अप्रार्थी 07, 08 -" विवादित भूमि वक्त settlement से शमशेर सिंह के नाम दर्ज थी यह अप्रार्थी सं. 01 की स्वअर्जित संपत्ति है। मौके पर कब्जा शमशेर सिंह, अप्रार्थी सं. 07,08 का है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।" उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों, शपथ-पत्र के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है -" प्रस्तुत	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of...
	खतौनी बंदोबस्त के आधार पर विवादित भूमि प्रथम दृष्टया पुश्तैनी प्रतीत होती है। अप्रार्थी सं.-01 द्वारा पूर्व में भी विवादित भूमि में से 24 बीघा का बेचान किया जा चुका है। आगे अन्य भूमि का बेचान होने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः प्रार्थी का प्रा: पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सं. 07, 08 को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के कब्जे में दखल ना दें और ताफैसला मूलवाद मौका स्थिति परिवर्तन ना हो।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो।	
	Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर [Seal: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर]	